

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता/खसरा दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि.
 की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार/तहसीलदार की अनुशंघा
 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम
 तहसील जिला की जमाबंदी संवत् में
 खाता/खसरा संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
 जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.स.	ग्राम	खाता/खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	धाजेराव	2410 व 2410 1	2410 व 2410 1. गलत तरीके की प्रविष्टि	2410 व 2410 1 पटवारी व क.क. के डि.ले.ल.क. रिपोर्ट के आधार शुद्ध किया जागा

(Handwritten Signature)

()
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं कलेक्टर
 पदेन सहा. कलेक्टर (रा.जी.सो.) देपुरी (पल्ल)

क्रमांक :- 1 कोर्ट / 5-8

दिनांक :- 16/05/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेज कर लेख कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें ।
2. प्रार्थी श्रीम. देपुरी पटवारी पु.राज माली को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली ।

4. पटवारी हल्का धाजेराव

(Handwritten Signature)
 16.5.2024

पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं कलेक्टर
 पदेन सहा. कलेक्टर (रा.जी.सो.) देपुरी (पल्ल)

